की कमांक तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0 एम0 ए0 वाद संख्या 05 /2016–17

हातिम मोमीन एवं अन्य
–बनाम–
छिता मुर्मू एवं अन्य

–: आदेश :–

01/2018– यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0 ई0 वाद संख्या 24/2015–16 (छिता मुर्मू –बनाम–हातिम मोमीन वगैरह) में दिनांक 03.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। यह विवाद अंचल– बरहेट, जिला– साहेबगंज के मौजा– करमटोला, थाना नं0– 17 जमाबंदी नं0 10 दाग नं0 515 में कुल रकवा 0.85 एकड़ के आंशिक रकवा 00. 05.00 (पाँच कट्ठा) भूमि पर अवैध दखल से संबंधित है।

अपील वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। उत्तरवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं प्रश्नगत भूमि संबंधी वैध कागजात दाखिल करने हेतु कई मौका दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2017 को सूचीवद्ध कागजात दाखिल करने के उपरान्त वाद की अन्तिम सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2017 को तिथि निर्धारित की गयी। किन्तु दिनांक 15. 12.2017 को अपीलार्थी मामले को लंबित रखने के उद्देश्य से समय का मॉग आवेदन देकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उत्तरवादी को एक पक्षिय सुनकर एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजातों के आधार पर वाद की कार्यवाही की गयी।

उत्तरवादी की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी बार–बार समय का आवेदन देकर मामला को लंबित रखना चाहता है एवं उपरोक्त भूमि पर पक्का मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये हुए है। उत्तरवादी एक आदिवासी समुदायी की महिला है। इनका कोई सहारा नहीं हैं। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में उत्तरवादी के परदादा चन्द्राय मुर्मू के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। उत्तरवादी मात्र दो बहन छिता मुर्मू एवं सुमी मुर्मू जीवित है। अपीलार्थी की ओर से जो कागजात दाखिल की गई है। उक्त कागजात निम्न न्यायालय में दाखिल नहीं की गई थी। यह कागजात फर्जी एवं बचाव के लिये बनाया गया है। जिसे वैध नहीं माना जा सकता है। उत्तरवादी के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। पैसे लेन–देन की कोई बात नहीं है। अपीलार्थी बलपूर्वक जमीन को हड़प कर रखे है। यह भूमि दामिन–ई–कोह क्षेत्र की है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार से आदिवासी की भूमि का हस्तान्तरण नहीं होगा। अपीलार्थी की ओर से फर्जी बदला नामा का कागजात दाखिल किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि 1

उत्तरवादी को जमाबंदी नं0 06 दाग नं0 204 के रकवा– 07 (सात) कट्ठा जमीन दिया गया है एवं 70,000.00 (सत्तर हजार) रूपये नगद राशि दोस्ताना कहकर दिया है। जो बिल्कुल झुठा दस्तावेज है। नियमानुसार अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त महोदय से अनुमति लिये बिना बदला नामा नहीं हो सकता है।

उनका यह भी कथन है कि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी किसी भी प्रकार से नहीं ले सकते है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच कराकर आदेश पारित किया गया हैं। अतः अनुरोध है कि आर0 ई0 वाद संख्या– 24/2015–16 में दिनांक 03.05.2016 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज (अस्वीकृत) किया जाय।

अतएव उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। साथ ही अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं सभी कागजातों से स्पष्ट होता है कि यह भूमि दामिन–ई– कोह क्षेत्र की हैं, जो अहस्तान्तरणीय है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल बदना नामा दोनों पक्षों का पर्चा से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी की माँ संझली मरांडी पति– स्व0 चन्द्राय मुर्मू द्वारा बदना नामा अपीलार्थी के वंशज जमशेद मोमीन पिता– स्व0 शेर मोहम्मद मोमीन एवं अन्य के नाम से दिनांक 03.01.2015 को नोट्री पब्लिक श्री विजय कुमार कर्ण, अधिवक्ता, साहेबगंज द्वारा तैयार किया गया है। जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुकूल नहीं है। जिसपर किसी सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति नहीं है। इस दस्तावेज को मान्यता नहीं दिया जा सकता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 03.05.2016 को पारित आदेश को बरकरार (uphold) रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को अस्वीकृत (खारिज) किया जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों को अवलोकन करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

11/1/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।

11/1/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner